क.

एम. पी. राज्या तिलहन उत्थापक सहकारी संघ मरियम, पचामा, जिला सहोर और अन्य बनाम

मेसर्स मोदी ट्रांसपोर्ट सर्विस (2022 की सिविल अपील संख्या 1973) 11 मई, 2022

[संजीव खन्ना और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता अधिनियम, 1940:धारा 21-वाद करने वाले पक्ष संदर्भ आदेश के लिए आवेदन कर सकते हैं-पक्षों के बीच विवाद-खातों के निपटारे के लिए दायर मुकदमा-इसके बाद, प्रत्यर्थी द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट-सी. ए. की आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन, खातों का ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए-सी. ए. की नियुक्ति-इसके अनुसार, अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को देय और देय राशि बताते हुए अदालत के समक्ष सी. ए. द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना-इसके बाद, अपीलार्थी द्वारा आपत्तियां कि सी. ए. को यू/या आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। XXVI आर।9 और मध्यस्थ यू/के रूप में नहींधारा 21-आपत्तियों को अस्वीकार करना-सी. ए. को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के आदेश को अंतिम रूप दिया गया, और उच्च न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःचार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट कोई पुरस्कार नहीं है और इसे अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त की रिपोर्ट के रूप में माना जाना चाहिए। XXVI आर।11 – एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के दायरे और कार्यों और यू/ओआर द्वारा नियुक्त आयुक्त के बीच अंतर है। XXVI rr 9 और 11-मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए, s के संदर्भ में एक मध्यस्थता समझौता या एक समझौता होना चाहिए।21 – जबकि आयुक्तों की नियुक्ति अदालत द्वारा की जाती है, पक्षकारों की सहमति से हो सकती है, या तब भी जब नियुक्ति पर कोई आपत्ति हो-पहले से मौजूद समझौता या यह आवश्यकता कि पक्षकार अदालत के समक्ष सहमत हों, जैसा कि मध्यस्थता के मामले में अनिवार्य है, तब आवश्यक नहीं है जब कोई अदालत एक आयुक्त की नियुक्ति का निर्देश देती है-तथ्यों पर, जब अदालत ने सीए को नियुक्त किया, जिसे एक विशेषज्ञ के रूप में खातों पर बयान पर अपनी राय देने की आवश्यकता थी, ताकि अदालत को निर्णय लेने और अंत में मुकदमे का फैसला करने में मदद मिल सके-तत्काल आवेदन को मध्यस्थता के संदर्भ में पूर्व समझौते या आम सहमति पर स्थानांतरित किए जाने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था-सीए की नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं उठाना इस पुष्टि को जन्म नहीं देता है कि अपीलकर्ता सहमत हो गया था।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

इसके अलावा, अदालत ने हमेशा मुकदमे के विषय पर अपना अधिकार बनाए रखा-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। XXVI आर।11.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अवधारित **1.1** मध्यस्थता अधिनियम**, 1940** की धारा **21** को लागू करने के लिए पहली शर्त यह है कि मुकदमे के पक्षों को इस बात पर सहमत होना चाहिए कि उनके बीच किसी भी मतभेद के मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।सभी इच्छुक पक्षों को मध्यस्थता के संदर्भ का आदेश प्राप्त करने के लिए सहमत होना चाहिए और उस अदालत में आवेदन करना चाहिए जहां मुकदमा लंबित है।संदर्भ का विषय वाद के पक्षकारों के बीच का कोई भी मामला होना चाहिए।मुकदमे की पूरी विषय वस्तु को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है।पक्षकार विवाद के केवल एक भाग या भाग को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए सहमत हो सकते हैं।'सहमत' अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण और अभिव्यंजक है कि कब कोई अदालत अधिनियम की धारा **21** के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है। 'सहमत' शब्द का अर्थ है किसी भी व्यवस्था या समझ या सामूहिक रूप से की गई कार्रवाई।अनुबंध अधिनियम**, 1872** में कहा गया है कि एक समझौता मौखिक या लिखित हो सकता है**,** हालांकि अधिनियम की धारा **21** का आदेश यह है कि पक्षों को संदर्भ के आदेश के लिए लिखित रूप में अदालत में आवेदन करना चाहिए।धारा **21** के संदर्भ में**,** जब पक्षकार पारस्परिक रूप से मध्यस्थता के लिए सहमत होते हैं तो न्यायालय वाद के विवाद/मतभेद विषय को संदर्भित कर सकता है।किसी लंबित मुकदमे में किसी विषय वस्तु के संबंध में मध्यस्थता के लिए जाने के लिए पक्षों के बीच विचार-विमर्श या विचार-विमर्श होना चाहिए।**[**पैरा **15] [661-**डी-जी**; 662-**ए**] 1.** मध्यस्थता पक्षकारों द्वारा चुने गए निजी मंच द्वारा न्यायालय निर्णय प्रक्रिया का एक विकल्प है।आम तौर पर मध्यस्थ को केवल तभी निर्देश दिया जा सकता है जब पक्षों के बीच पहले से मौजूद मध्यस्थता समझौता बना रहे।पहले से मौजूद मध्यस्थता समझौते के अभाव में**,** अदालत के पास अनिच्छुक पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की कोई शक्ति**,** अधिकार या अधिकार क्षेत्र नहीं है।इसलिए**,** अधिनियम की धारा **21** में 'सहमत' शब्द उन पक्षों के बीच सर्वसम्मति को संदर्भित करता है जो एक अदालत के समक्ष अपने निर्णय के अधिकार को छोड़ने के लिए एक सुविचारित निर्णय लेते हैं**,** जहां मुकदमा लंबित है**,** और पारस्परिक रूप से सहमत होते हैं कि मुकदमे या उसके हिस्से की विषय वस्तु पर निर्णय लिया जाए और एक मध्यस्थ द्वारा निर्णय लिया जाए।**[**पैरा **17] [663-**जी-एच**; 664-**ए-बी**]** ए

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

649

एम. पी. राज्या तिलहन उत्थापक सहकारी संघ मरियम, पचामा, जिला शहर बनाम एम./एस. मोदी परिवहन सेवा ए

1.3 तत्काल मामले में**,** दिनांकित **23.12.1994** आवेदन वादी द्वारा दायर किया गया था और इसमें प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।शीर्षक के अनुसार**,** आवेदन एक सक्षम चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा खातों के संबंध में 'जांच' करने के लिए एक आयुक्त/मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए था जो एक पंच/आयुक्त के रूप में कार्य करेगा और खातों का ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।यह कहा गया था कि पक्षों के बीच लेन-देन की संख्या काफी अधिक है और इसलिए**,** उक्त कार्य को एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को सौंपना आवश्यक है।आवेदन में यह भी कहा गया है कि खातों के संबंध में जांच के लिए दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।पंच/आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए एस**.** के**.** एम**.,** चार्टर्ड एकाउंटेंट का नाम प्रस्तावित किया गया था।आवेदन में प्रार्थना की गई थी कि पंच/आयुक्त खातों का ऑडिट करने के बाद अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।आवेदन को मध्यस्थता के संदर्भ में पूर्व समझौते या सर्वसम्मति पर दायर आवेदन के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।आवेदन को मध्यस्थता अधिनियम की धारा **21** के तहत पक्षों द्वारा आवेदन के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। पहला**,** यह निर्णय के लिए एक मध्यस्थ को विवादों के संदर्भ के लिए एक आवेदन नहीं है**,** बल्कि एक विशेषज्ञ**,** यानी एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति के लिए एक अनुरोध है**,** जो खातों और कागजात की जांच करेगा और अदालत की सुविधा के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।एसकेएम को सौंपी गई भूमिका नियुक्ति पत्र से भी स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि एसकेएम को सीए के रूप में नियुक्त किया गया है और वह दोनों पक्षों के सभी विवादित खातों का ऑडिट करेगा और उसे अदालत को एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए।

दूसरा, अंततः निर्णय लेने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल नहीं उठाया गया या उसे समाप्त नहीं किया गया।वास्तव में, अदालत हमेशा तस्वीर में रही, मुकदमे के विषय पर प्रभुत्व रखने वाले एक न्यायनिर्णायक के रूप में बातचीत का प्रयोग किया।[अनुच्छेद **18** और **19] [664-**ई**-**जी**; 665-**ए**] 1.4** दिनांकित आदेश के पहले भाग में लिखा है कि वादी ने खातों के निपटारे के लिए आवेदन किया है और खातों की जांच केवल एक सुशिक्षित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जा सकती है।आवेदन की एक प्रति प्रतिवादी के वकील को सौंपी गई थी, जिन्हें "इस मामले में पंच के रूप में नियुक्त होने" पर कोई आपत्ति नहीं थी।यह कथन कुछ हद तक अस्पष्ट है, लेकिन इसे एक संकेत या पुष्टि के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि प्रतिवादी ने नियुक्ति के लिए सहमति व्यक्त की थी

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

न्यायालय के निर्णय के विकल्प और विकल्प के रूप में एक मध्यस्थ।यदि ऐसा था, तो यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए था ताकि पक्षकार जवाब दे सकें और बयान दे सकें।अधिक से अधिक यह एक विशेषज्ञ/आयुक्त की नियुक्ति तक ही सीमित था जो खातों की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।दिनांकित **23.12.1994** आदेश के दूसरे भाग में कहा गया है कि एस**.** के**.** एम**.** के आवेदन में पंच के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट का नाम प्रस्तावित किया गया था, जिस पर किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं थी।इसके बाद, आदेश अदालत के निर्देश को दर्ज करता है कि मध्यस्थ का शुल्क 'भारतीय मध्यस्थता परिषद की अनुसूची में निर्धारित किया जाएगा और यदि मध्यस्थ शुल्क की मांग करता है तो इसे दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए'।अंतिम भाग में न्यायालय के निर्णय और निर्णय के विकल्प के रूप में मध्यस्थता के लिए सहमत प्रतिवादी द्वारा दिए गए किसी भी समझौते या रियायत को शामिल नहीं किया गया है और न ही इसका उल्लेख किया गया है। न्यायालय ने वाद की विषय वस्तु या विषय वस्तु के किसी भाग को मध्यस्थता के लिए भेजकर वाद का निपटारा नहीं किया था।उक्त आदेश एक आयोग जारी करने के लिए है क्योंकि अदालत ने वादी द्वारा खातों के सत्यापन के लिए दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया था।आयुक्त को अदालत के लिए एक विशेषज्ञ या सहायक के रूप में कार्य करना था और अदालत को निर्णय लेने और अंत में मुकदमे का फैसला करने में मदद करने के लिए अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।[पैरा **20** और **21] [665-**बी**-**जी**]**

ग

डी.

ई.

1.5 एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण और संहिता के आदेश **XXVI** नियम **9** और **11** के तहत नियुक्त एक आयुक्त के दायरे और कार्यों के बीच भी अंतर है।मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए, अधिनियम की धारा **21** के संदर्भ में एक मध्यस्थता समझौता या एक समझौता होना चाहिए कि पक्षों के बीच अंतर या विवाद जिसका वे अर्ध**-**न्यायिक तरीके से निर्धारण करना चाहते हैं।आयुक्तों की नियुक्ति अदालत द्वारा की जाती है।नियुक्ति पक्षों की सहमति से या नियुक्ति पर आपत्ति होने पर भी हो सकती है।जब कोई अदालत आयुक्त की नियुक्ति का निर्देश देती है तो पहले से मौजूद समझौता या यह आवश्यकता कि पक्ष अदालत के समक्ष सहमत हों, जैसा कि मध्यस्थता के मामले में अनिवार्य है, आवश्यक नहीं है।एक आयुक्त के संदर्भ के मामले

में, पक्षकार आयुक्त से केवल संदर्भित विषय वस्तु का मूल्यांकन/परीक्षण की अपेक्षा करते हैं, जो वह अपने कौशल, ज्ञान और अनुभव के अनुसार करेगा, जो किसी भी ए के बिना हो सकता है।

च

जी.

एच.

651

एम. पी. राज्या तिलहन उत्थापक सहकारी संघ मरियम, पचामा, जिला शहर बनाम एम./एस. मोदी परिवहन सेवा ए

साक्ष्य या सुनवाई तर्क।एक 'सुविधा प्रदाता' का सिद्धांत पेश किया जा सकता है, जिसे एक अदालत नियुक्त कर सकती है, चाहे वह एक आयुक्त हो या एक विशेषज्ञ, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए और एक तथ्य का पता लगाने के लिए कारण जो विवादित भी हो सकता है।कुछ मामलों में, आयुक्त पक्षकारों को भी सुन सकता है और आयुक्त के समक्ष पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सामग्री या साक्ष्य के आधार पर अपनी विशेषज्ञ राय दे सकता है, जैसे कि इस मामले में जब अदालत ने एक चार्टर्ड एकाउंटेंट नियुक्त किया था और जिसे एक विशेषज्ञ के रूप में लेखा पर बयान पर अपनी राय देने की आवश्यकता थी ताकि अदालत को एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय पर पहुंचने में मदद मिल सके।यह अदालत का समय बचाने और अदालत के फैसले में देरी को कम करने के लिए था।**[**पैरा **32] [670-**एफ**-**जी**; 671-**ए**-**ई**]**

ग

1.6 संहिता का आदेश **XXVI** नियम **9** अदालत को स्थानीय जांच करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने के लिए व्यापक शक्तियां देता है जो विवाद में किसी भी मामले को स्पष्ट करने, किसी भी संपत्ति के बाजार मूल्य, अपने लाभ या नुकसान के खाते या वार्षिक शुद्ध लाभ का पता लगाने के लिए आवश्यक या उचित हो सकता है।आदेश **XXVI** नियम **11** के तहत, अदालत के पास एक मुकदमे में कमीशन जारी करने की शक्ति है, जिसमें खातों के समायोजन की जांच आवश्यक है, किसी व्यक्ति को जो वह उचित समझता है, ऐसी जांच या समायोजन करने का निर्देश देता है।जब कोई अदालत ऐसे व्यक्ति को इस तरह का कमीशन जारी करती है, तो वह आयुक्त को इस तरह की जांच, जांच और समायोजन करने और अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है।इस प्रकार नियुक्त आयुक्त सख्ती से एक 'न्यायिक कार्य जो बाध्यकारी है' नहीं करता है, बल्कि केवल एक 'मंत्रिस्तरीय कार्य' करता है।आयुक्त के विवेकाधिकार पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है, और अपने निर्णय का उपयोग करने या आयुक्त को शामिल मुद्दे पर निर्णय लेने और निर्णय लेने की अनुमति देने का कोई अवसर नहीं है; आयुक्त की रिपोर्ट केवल एक राय या टिप्पणी है, जैसा कि मामला विवरण और/या अदालत को वास्तविक स्थिति के बयान के साथ हो सकता है।इस तरह की रिपोर्ट स्वचालित रूप से अदालत की राय का हिस्सा नहीं बनती है, क्योंकि अदालत के पास रिपोर्ट की पुष्टि करने, उसमें बदलाव करने या उसे दरकिनार करने या किसी मामले में एक नया आयोग जारी करने की शक्ति है।इसलिए, इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए न तो त्याग किया जाता है और न ही न्यायालय के कार्यों की शक्तियों का प्रत्यर्पण किया जाता है।कभी-कभी, आयुक्त की जांच पर, रिपोर्ट रिकॉर्ड और साक्ष्य का हिस्सा बनती है।पक्ष एक विशेषज्ञ राय/आयुक्त की रिपोर्ट को चुनौती दे सकते हैं, और अदालत, आपत्तियों को सुनने के बाद, यह निर्धारित कर सकती है कि उसे भरोसा करना चाहिए या नहीं।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

ऐसे विशेषज्ञ की राय/आयुक्त की रिपोर्ट पर।भले ही न्यायालय उसी पर निर्भर करता है, यह केवल सहायता करेगा और न्यायालय को बाध्य नहीं करेगा।सटीक अर्थों में, आयुक्तों की रिपोर्ट 'गैर-न्यायिक प्रकृति' की होती हैं, और अदालतें पक्षों के अधिकारों पर निर्णय देती हैं।[पैरा **33] [671-**ई-एफ; **672-**ए-ई]

1.7 एस. के. एम. को भेजा गया मामला खातों की जांच तक सीमित था।मुकदमे में विवाद के मुद्दे और सवाल कहीं अधिक व्यापक और व्यापक थे।इनमें सहमत मूल्य या परिवहन की दर, अनुबंध के तहत वादी को देय परिवहन लागत की गणना, यदि वितरित किया गया कोयला **1** प्रतिशत की शर्त के भीतर या उससे अधिक था, तो क्या प्रतिवादी खराब गुणवत्ता वाले कोयले, उच्च नमी सामग्री आदि के कारण कटौती करने में सही थे या नहीं, जिसके कारण कोयले का वजन बढ़ गया था, वादी की ओर से वितरण में देरी, क्या प्रतिवादी वसूली करते समय ब्याज लेने के हकदार हैं, आदि के बारे में प्रश्न शामिल थे। एस. के. एम. ने स्वयं यह निर्णय नहीं लिया कि वादी भूखंड के किराए या सुरक्षा शुल्क का हकदार है या नहीं, यह देखते हुए कि यह निर्णय लेने के लिए अदालत का एक पहलू था।हालाँकि, वह भूल गए कि उनका 'अधिकार क्षेत्र' खातों की जाँच और सत्यापन तक सीमित था और खातों से परे किसी भी मुद्दे या प्रश्न का निर्णय नहीं ले रहा था।[पैरा **35] [673-**सी-ई] **1.8** अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट एक पुरस्कार नहीं है और इसे संहिता के आदेश **XXVI** नियम **11** के तहत न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त की रिपोर्ट के रूप में माना जाना चाहिए।[पैरा **36] [673-**एफ-जी]

ग

डी.

ई.

च

फर्म खेतू राम बशमबर दास बनाम कश्मीरी लाल **(1959)** एस. सी. सी. ऑनलाइन पुंज **102;** केरल राज्य विद्युत बोर्ड और एक अन्य बनाम कुरियन ई. कलाथिल और एक अन्य **(2018)**

4 एससीसी 793:[2018] 11 एस. सी. आर. 511; एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर

लिमिटेड वी.चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कं. (पी) लिमिटेड **(2010)**

जी.

8 एससीसी 24:[2010] 8 एस. सी. आर. 1053; शैलेश धैर्यवान बनाम मोहन बालकृष्ण लुल्ला (2016) 3 एस. सी. सी. 619:[2015]

12 एस. सी. आर. **70;** बायराम पेस्टनजी गरीवाला बनाम यूनियन बैंक

भारत सरकार (1992) 1 एस. सी. सी. 31:[1991] 1 पूरक।एससीआर 187;

बिहार राज्य खनिज विकास निगम।v. एनकॉन ए

एच.

653

एम. पी. राज्या तिलहन उत्थापक सहकारी संघ मरियम, पचामा, जिला शहर बनाम एम./एस. मोदी परिवहन सेवा ए

बिल्डर्स (आई) (पी) लिमिटेड (2003) 7 एससीसी 418:[2003] 2 पूरक।

एससीआर **812;** आईटीसी लिमिटेड बनाम.जॉर्ज जोसेफ फर्नांडेज़ और

एक और (1989) 2 एससीसी 1:[1989] 1 एससीआर 469; के. के.

मोदी बनाम के**.** एन**.** मोदी और अन्य **(1998) 3** एस**.** सी**.** सी**. 573:[1998] 1** एससीआर **601;** भारत भूषण बंसल बनाम यूपी स्मॉल

उद्योग निगम लिमिटेड (1999) 2 एस. सी. सी. 166:[1999]

1 एस**.** सी**.** आर**. 181;** दयाल सिंह और अन्य बनाम राज्य

उत्तरांचल (2012) 8 एस. सी. सी. 263:[2012] 10 एससीआर 157; मुरारी लाल बनाम एमपी राज्य (1980) 1 एससीसी 704:[1980]

2 एससीआर **249;** नागराजन बनाम ए**.** मदनकुमार **(1996)**

एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन मैड **17-**संदर्भित।

ग

फेल्टहाउस बनाम बिंदले (1862) 142 ई. आर. 1037; डेविस बनाम एडिनबर्ग मजिस्ट्रेट 1953 एस. सी. 34-संदर्भित।
निर्णीत विधि संदर्भ

[2018] 11 एससीआर **511**

पैरा **23** को संदर्भित किया गया

डी.

[2010] 8 एससीआर **1053**

पैरा **23** को संदर्भित किया गया

[2015] 12 एससीआर **70**

पैरा **24 [1991] 1** का उल्लेख किया गया है।एस**.** सी**.** आर**. 187** पैरा **25 [2003] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **26 [1989] 1** एस**.** सी**.** आर**. 469** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 812**

ई.

पैरा **27** को संदर्भित किया गया

[1998] 1 एससीआर **601**

पैरा **28** में संदर्भित

[1999] 1 एससीआर **181**

पैरा **30** को संदर्भित किया गया

[2012] 10 एससीआर **157**

पैरा **31** को संदर्भित किया गया

च

[1980] 2 एससीआर **249**

पैरा **31** को संदर्भित किया गया

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील सं. 1973।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 19.09.2019 के निर्णय और आदेश से, 1996 की पहली अपील संख्या 505 में जबलपुर में प्रधान पीठ।

जी.

सुश्री अंकिता चौधरी, डिप्टी कमिश्नर। ए. जी., अभिनव श्रीवास्तव, सुश्री हिमांशी शाक्य, सनी चौधरी, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

एच.

अरुणाभ चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, सौरभ टंडन, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना**,** जे।

1. वर्तमान अपील में उत्पन्न होने वाला कानूनी मुद्दा यह है कि क्या पक्षकार इस बात पर सहमत हुए थे कि वाद की विषय वस्तु या उसके किसी भाग को मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 21 के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए।

2. 3 सितंबर 1993 को, हमारे समक्ष प्रतिवादी-मेसर्स मोदी ट्रांसपोर्ट सर्विस, 2 एक साझेदारी फर्म, ने 1 अक्टूबर 1990 के समझौते और 13 दिसंबर 1991 के पूरक समझौते के अनुसार उनके द्वारा किए गए कोयले के परिवहन के खातों के निपटारे के लिए जिला न्यायाधीश, सीहोर कैंप, आस्था, मध्य प्रदेश की अदालत में एक दीवानी मुकदमा दायर किया था।उक्त सहकारी संघ के महाप्रबंधक और प्रबंध निदेशक को दूसरे और तीसरे प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था।3 वादी ने प्रतिवादी द्वारा देय और देय राशि और वादी द्वारा प्रतिवादी के सामान की सुरक्षा पर खर्च की गई राशि और ब्याज @2 प्रतिशत के साथ अन्य सभी राशि (एस. आई. सी.) के अनुदान के लिए भी अनुरोध किया था।4

ग

डी.

ई.

3. संक्षेप में, शिकायत में कहा गया है कि वादी ने प्रतिवादी द्वारा जारी किए गए वितरण आदेशों पर कोयले को कोयला खदानों से प्रतिवादी के संयंत्र तक पहुँचाया था।वादी का कोयले की गुणवत्ता या गुणवत्ता में किसी भी कमी से कोई संबंध नहीं था। निर्देशानुसार, वादी ने वेस्टर्न इंडिया कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला खदानों से कोयले को भरा था।वादी की एकमात्र जिम्मेदारी प्रतिवादी के संयंत्र में समय पर कोयले की आपूर्ति करना था।05 जून 1992 के संचार द्वारा, प्रतिवादी ने सूचित किया था कि वादी को परिवहन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 1.42p।नए समझौते को अंतिम रूप देने तक प्रति टन प्रति किलोमीटर।यह आदेश कम से कम छह महीने तक लागू रहेगा।

च

जी.

1 हम मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधानों की जांच कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप, अभिलिखित टिप्पणियों और निष्कर्षों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत कार्यवाही पर लागू सिद्धांतों के उचित मूल्यांकन के बिना नहीं होना चाहिए।

2 'वादी ', संक्षेप में।

3 सामूहिक रूप से तीन प्रतिवादियों को संक्षेप में 'प्रतिवादी' के रूप में संदर्भित किया जाता है।4 ब्याज अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी।

एच.

655

एम. पी. राज्या तिलहन उत्थापक सहकारी संघ मरियम, पचामा, जिला शहर बनाम एम./एस. मोदी परिवहन सेवा [संजीव खन्ना, जे.] ए.

क.

आवश्यकतानुसार, वादी ने छह महीने के लिए रुपये 1,00,000-(केवल एक लाख रुपये) की बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी।इसके बाद, प्रतिवादी ने रुपये के परिवहन शुल्क का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। 1.42p।प्रति टन प्रति किलोमीटर।इसके अलावा, प्रतिवादी ने वितरित किए गए कोयले के वास्तविक टन भार के आधार पर उठाए गए बिलों से कटौती की थी, हालांकि वादी, समझौते के अनुसार, कोयला खदान में लोड किए गए कोयले की मात्रा पर 1 प्रतिशत भिन्नता या छूट का हकदार था। तदनुसार, परिवहन शुल्क प्रति टन प्रति किलोमीटर देय था जैसा कि कोयला खदानों में लादा गया था, न कि वास्तव में वितरित की गई मात्रा पर जब तक कि कमी 1 प्रतिशत के भीतर थी।प्रतिवादी ने कोयले में उच्च नमी की मात्रा के कारण गलत और गलत कटौती भी की थी।प्रतिवादी द्वारा वादी के बिलों से ब्याज लिया जाता था और काटा जाता था।इसके बाद, प्रतिवादी ने एक तार जारी कर वादी को कोयले का परिवहन नहीं करने के लिए कहा था।वादी को कोयले के भंडारण के लिए एक भूखंड की व्यवस्था करनी थी, जिसके लिए उसे प्रति माह 1,000 रुपये (केवल दस हजार रुपये) का किराया देना पड़ता था और पांच महीने तक प्रति माह 5,000 रुपये (केवल पांच हजार रुपये) का सुरक्षा खर्च उठाना पड़ता था।

ग

डी.

4. प्रतिवादी ने एक विस्तृत लिखित बयान दायर करके मुकदमे का विरोध किया।प्रतिवादी के अनुसार, यह वादी का एक आवश्यक कर्तव्य था कि वह केवल इस बात से संतुष्ट होने पर प्रस्तावित कोयले को उठाए कि कोयला अच्छी गुणवत्ता का है। वादी ने प्रतिवादी के रिहाई के आदेश के खिलाफ कोयला खानों से अच्छी गुणवत्ता का कोयला उठाया था, लेकिन प्रतिवादी को कम गुणवत्ता का कोयला दिया गया था।अभियुक्त को धोखा दिया गया।वादी के प्रतिनिधियों को अत्यधिक नमी के कारण कोयले की निम्न गुणवत्ता और कोयले के साथ पत्थर और धूल मिलाने के बारे में सूचित किया गया था।ट्रक चालकों ने डिलीवरी से पहले जानबूझकर कोयले का वजन बढ़ाने के लिए कोयले पर पानी की बौछार की थी।इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा वादी को 05 जून 1992 का पत्र जारी किया गया था।वादी को प्रतिवादी के संयंत्र में वास्तव में स्वीकार किए गए कोयले के लिए परिवहन शुल्क का भुगतान किया जाना था, न कि उस कोयले के लिए जो वितरित नहीं किया गया था।समझौते के खंड 11 के अनुसार, प्रति ट्रक 1 प्रतिशत तक की कमी अधिकतम सीमा थी, जबकि वादी ने दावा किया था कि 1 प्रतिशत की कमी की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही भेजे गए और वितरित किए गए वजन के बीच कोई अंतर न हो।कोयले की कीमत की कटौती की गई और वादी से तब वसूली की गई जब कमी 1 प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा से अधिक थी।कोयले के वितरण में देरी हुई, कभी-कभी प्रेषण की तारीख से एक महीने से अधिक समय तक बढ़ जाती थी।तदनुसार, प्रतिवादी ने गलत और धोखाधड़ी वाले कार्यों के कारण कटौती की थी, जिसके कारण प्रतिवादी को नुकसान उठाना पड़ा था।वादी था

ई.

च

जी.

ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है क्योंकि प्रतिवादी को धन के अवरोध के कारण नुकसान उठाना पड़ा था। प्रतिवादी भूखंड के लिए किसी भी अवमूल्यन या किराया शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था और वास्तव में, इस तरह के शुल्क का कभी भुगतान नहीं किया गया था।कोयला खदानों से कोयला उठाए जाने के बाद वादी ने छह से सात महीने तक बड़ी मात्रा में कोयले की आपूर्ति और भंडारण नहीं किया था।जिस स्थान से कोयला उठाया गया था, उसके बारे में गलत घोषणा करके अधूरे दस्तावेजीकरण और अतिरिक्त माल ढुलाई शुल्क से संबंधित अन्य बचाव किए गए।05 जून 1992 के पत्र में दर को बढ़ाकर रु। 1.42p।प्रति टन प्रति किलोमीटर को 30 सितंबर 1992 के पत्र के माध्यम से पूर्वव्यापी रूप से वापस ले लिया गया/रद्द कर दिया गया।05 जून 1992 का पत्र जून 1992 में जारी एक निविदा में वादी की एक सहयोगी संस्था द्वारा उद्धृत दर के आधार पर गलत तथ्यों पर जारी किया गया था।इसके बाद, सहयोगी संस्था ने स्वेच्छा से दर को घटाकर रु। 1.32p।प्रति टन प्रति किलोमीटर।वास्तव में, वादी और उनकी सहयोगी संस्था ने प्रतिवादी के महाप्रबंधक (संयंत्र) को गुमराह करने और भ्रमित करने के लिए कम समय में तीन अलग-अलग दरों का हवाला दिया था, जिन्होंने 05 जून 1992 को पत्र जारी किया था।वादी ने 30 सितंबर 1992 के पत्र पर कोई आपत्ति नहीं जताई और पत्र जारी होने के बाद कोयले का परिवहन और वितरण जारी रखा।वादी ने 05 जून 1992 के पत्र को रद्द करने को स्वीकार कर लिया था।छह महीने के लिए रुपये की बैंक गारंटी (केवल एक लाख रुपये) देना दरों में वृद्धि के कारण नहीं था, बल्कि इस तथ्य के कारण था कि वादी द्वारा कोयले के परिवहन का अनुबंध दिसंबर 1992 तक बढ़ा दिया गया है।

ग

डी.

ई.

5. जैसा कि ऊपर कहा गया है, वादी ने उसमें देय राशि की मात्रा निर्धारित नहीं की थी और परिवहन किए गए कोयले की गुणवत्ता के संबंध में खातों के निपटान के लिए मुकदमा दायर किया था।उन्होंने 2 प्रतिशत की दर से ब्याज के लिए भी प्रार्थना की थी, जो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रति माह देय राशि के रूप में दावा की गई थी।मूल्यांकन के लिए, वादी ने मुकदमे का मूल्य रु. 1,00,000-(केवल एक लाख रुपये) निर्धारित किया था और 8,180/- (केवल आठ हजार एक सौ अस्सी रुपये) का अदालत शुल्क इस कथन के साथ भुगतान किया गया था कि राशि की मात्रा निर्धारित होने के बाद अतिरिक्त अदालत शुल्क जमा किया जा सकता है।हालाँकि, परिवहन शुल्क की दर और मात्रा निर्धारण, विभिन्न खातों पर वादी द्वारा चूक और कथित विफलता, प्रतिवादी द्वारा की गई कटौती और किए गए अतिरिक्त भुगतानों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए वादी के दायित्व जैसे कई विवाद उठाए गए थे।

च

जी.

6. उक्त वाद के लंबित रहने के दौरान, वादी ने प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीहोर के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें लिखा हैः

क.

“ न्यायालय:प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सेहोर (एम. पी.)

सिविल सूट नं**. 16** बी**/93**

मेसर्स मोदी ट्रांसपोर्ट सर्विस

.....वादी

बनाम

एम. पी. राज्य तिलहन संघ आदि. मध्यस्थ/आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रतिवादी आवेदन

1. वादी द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ खातों के निपटारे के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया गया है।वादी द्वारा की गई दलीलों, अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों और प्रतिवादी की दलीलों और दस्तावेजों को देखते हुए, यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच खातों के संबंध में विवाद है।दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद खातों के संबंध में जांच करने के उद्देश्य से, यह हित में आवश्यक है कि वर्तमान मामले में एक सक्षम चार्टर्ड एकाउंटेंट को पंच/आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के बाद उसे लेखा परीक्षा आयोजित करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सके।चूंकि, दोनों पक्षों के बीच लेन-देन बहुत अधिक है, इसलिए उपरोक्त काम को एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को सौंपना आवश्यक है।

ग

डी.

ई.

इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान आवेदन को अनुमति देकर, और श्री की नियुक्ति के बाद। सुशील कुमार मंत्री, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सीहोर, पंच/आयुक्त के रूप में वादी द्वारा प्रस्तावित, कृपया उन्हें लेखा परीक्षा आयोजित करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दें।

च

सीहोर, दिनांकित 23.12.1994

एसडी/- अवैध

वादी

वकील के माध्यम से "आवेदन पर वादी द्वारा हस्ताक्षर किए गए और पेश किया गया।इसे प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित और प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जी.

7. 23 दिसंबर 1994 को, जिस तारीख को आवेदन दायर किया गया था और पहली बार सूचीबद्ध किया गया था, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीहोर ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

एच.

“प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का न्यायालय**,** सेहोर **(**एम**.** पी**.)**

सिविल सूट सं**. 16** बी**/93**

श्री बदनैरकर और श्री अमित अग्रवाल, अधिवक्ता के साथ वादी

श्री एस. के. वर्मा, अधिवक्ता के साथ विरोधी दल

यह मामला आज साक्ष्य के लिए तय किया गया है, लेकिन वादी की ओर से इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में खातों का निपटारा पक्षों के बीच किया जाना है और यह काम केवल एक सुशिक्षित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जा सकता है।ऐसे में अगर यह मामला निर्णय के लिए किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट को सौंप दिया जाता है तो दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं होगी।इस आवेदन की एक प्रति श्री वर्मा को दी गई थी।उन्हें इस मामले में पंच के रूप में नियुक्त होने पर कोई आपत्ति नहीं है।आवेदन में ही श्री सुशील कुमार मंत्री, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सीहोर को मामले के पंच के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है, जिस पर किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।इसलिए आवेदन स्वीकार किया जाता है।मध्यस्थ का शुल्क भारतीय मध्यस्थता परिषद की अनुसूची में निर्धारित शुल्क के अनुसार तुरंत देय होगा, यदि मध्यस्थ शुल्क की मांग करता है, तो दोनों पक्षों को मामले के निपटारे से पहले मध्यस्थ को आधा शुल्क देना चाहिए।शुल्क का अंतिम दायित्व मामले के शुल्क के निपटारे पर निर्भर करेगा।मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सत्र न्यायालय की ओर से इस आशय का नोटिस।मध्यस्थ को संबंधित पक्षों को नोटिस देकर निर्धारित अवधि के भीतर अपना निर्णय प्रस्तुत करना चाहिए और इस मामले को मध्यस्थता न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बाद निर्धारित समय पर मेरे समक्ष रखा जाना चाहिए।तारीखः23.12.1994"8. उक्त आदेश के अनुसार, अदालत ने 23 जनवरी 1991 को एस. के. मंत्री, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सीहोर को निम्नलिखित पत्र भेजाः

ग

डी.

ई.

च

" प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिहोर का न्यायालय (एम. पी.)

जी.

सीनियर नंबर 11/सीहोर

तिथि-23.01.1995

को,

एस. एस. के. मंत्री

चार्टर्ड एकाउंटेंट ए

एच.

659

एम. पी. राज्या तिलहन उत्थापक सहकारी संघ मरियम, पचामा, जिला शहर बनाम एम./एस. मोदी परिवहन सेवा [संजीव खन्ना, जे.] ए.

सीहोर।

इस न्यायालय के वाद सं. 11/93 में मोदी परिवहन बनाम शीर्षक दिया गया है। तिलहन संघ, आपने पंच के रूप में नियुक्त किया है।आप दोनों पक्षों के सभी विवादित अभिलेखों (खातों) का लेखापरीक्षा करके, कृपया अपनी रिपोर्ट 22.04.1995 द्वारा भेजें।

आपकी पारिश्रमिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आपको न्यायालय में भुगतान किया जाएगा।

ह /-

(सतीश चंद्र दुबे) प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीहोर (एम. पी.) "9. 28 मार्च 1995 को, एस. के. मंत्री अदालत के समक्ष पेश हुए और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाने के लिए आवेदन किया, जिसका समय बढ़ा दिया गया था।22 अप्रैल 1995 के एक अन्य आदेश में कहा गया है कि पंच का निर्णय प्रस्तुत नहीं किया गया था और पंच को संबंधित पक्षों को नोटिस देकर निर्धारित अवधि के भीतर पुरस्कार प्रस्तुत करना चाहिए।इसके बाद, अदालत ने पक्षों की उपस्थिति दर्ज करते हुए कई आदेश पारित किए और उन्होंने वाउचर और रिकॉर्ड की व्यवस्था करने के लिए समय मांगा।कागजातों को सत्यापित करने के लिए भी समय दिया गया था, जिन्हें अदालत में पक्षों के प्रतिनिधियों के सामने जांचा गया था।18 मई 1995 के आदेश में कहा गया है कि फोटोकॉपी और प्रयोगशाला विश्लेषण रिकॉर्ड को रिकॉर्ड में रखा गया था।19 मई 1995 के आदेश में वादी द्वारा पिछले वर्षों के लंबित बिलों और राशियों के संबंध में प्रस्तुत लेखा सारांश को संदर्भित किया गया है।प्रतिवादी से इस संबंध में जानकारी मांगी गई थी।इसलिए, यह स्पष्ट है कि अदालत के समक्ष कार्यवाही लंबित रही।23 दिसंबर 1994 के आदेश को ध्यान में रखते हुए मुकदमे को निपटाया नहीं गया और निर्णय नहीं लिया गया।

ग

डी.

ई.

च

10. 22 जून 1995 को, एस. के. मंत्री ने अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि Rs.24,03,300/-(केवल चौबीस लाख तीन हजार तीन सौ रुपये) की राशि प्रतिवादी द्वारा वादी को देय और देय थी।इस राशि में एक करोड़ रुपये का ब्याज शामिल था। 9,43,007-(केवल नौ लाख तैंतीस हजार सात रुपये) की गणना 23 फरवरी 1993 से 31 मई 1995 के बीच अलग-अलग राशियों पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से की गई।उन्होंने कहा कि वादी रुपये प्राप्त करने का हकदार है। 1.42p।प्रति टन प्रति किलोमीटर।उन्होंने कहा कि "मेरी राय में कमी

जी.

एक प्रतिशत प्रति ट्रक का पालन किया जाना चाहिए (एस. आई. सी.-अनुमत)

एच.

अतिरिक्त कटौती के लिए अनुबंध में कमी "।अभियुक्त का दावा

नमी और निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के कारण कटौती के लिए सबूत के अभाव में उचित नहीं था।अंत में, वादी किराया और प्रतिभूति शुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा, लेकिन एक स्पष्ट प्रावधान और एक विशिष्ट अनुरोध की कमी के कारण, राशि का निर्णय केवल अदालत द्वारा किया जा सकता है।उल्लेखनीय है कि जिस आधार पर इसे तैयार किया गया था, उसके बारे में रिपोर्ट का दूसरा अनुच्छेद इस प्रकार हैः

“कि रिपोर्ट उन अभिलेखों (खातों) के आधार पर तैयार की गई है जो वादी और विपक्ष द्वारा आज तक मुझे प्रस्तुत किए गए हैं, जो आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।"

ग

11. अदालत द्वारा 22 जून 1995 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि मध्यस्थ ने सूची के साथ अपनी रिपोर्ट और दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।यदि पक्षकारों को मध्यस्थता रिपोर्ट के संबंध में कोई आपत्ति है, तो उन्हें अगली तारीख को पेश होना चाहिए।

12. प्रतिवादियों ने रिपोर्ट को चुनौती देने वाले विभिन्न आधारों पर आपत्तियां दायर कीं, जिन आपत्तियों का फैसला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीहोर की अदालत ने 16 मई 1996 के आदेश के माध्यम से किया था।उन्होंने कहा कि एस. के. मंत्री को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 21 के तहत मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी का यह तर्क कि एस. के. मंत्री को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 5 के आदेश XXVI नियम 9 के तहत आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, खारिज कर दिया गया था।इसके अलावा, 1 नवंबर 1995 को दायर किए गए पुरस्कार पर आपत्तियां 30 दिनों से अधिक थीं और सीमा द्वारा वर्जित थीं।प्रतिवादी के वकील अदालत में मौजूद थे जब मध्यस्थ ने 22 जुलाई 1995 को अदालत में पुरस्कार प्रस्तुत किया।इस आधार पर कदाचार के आरोप को खारिज कर दिया गया कि एस. के. मंत्री प्रतिवादी के चार्टर्ड एकाउंटेंट थे, जो वास्तव में खाते तैयार करने में शामिल थे, क्योंकि यह आपत्ति तब नहीं उठाई गई थी जब एस. के. मंत्री को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था।एस. के. मंत्री को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के 23 दिसंबर 1994 के आदेश को अंतिम रूप मिल गया था क्योंकि इसे प्रतिवादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।

डी.

ई.

च

13. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दायर पहली अपील को 19 सितंबर 1996 के विवादित फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के इस विचार की पुष्टि की है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, मामले को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। एस. के. मंत्री, चार्टर्ड

जी.

5 'कोड ', संक्षेप में।

एच.

661

एम. पी. राज्या तिलहन उत्थापक सहकारी संघ मरियम, पचामा, जिला शहर बनाम एम./एस. मोदी परिवहन सेवा [संजीव खन्ना, जे.] ए.

क.

लेखाकार, पक्षों की सहमति से एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था।यह शुल्क एस. के. मंत्री को निर्धारित मध्यस्थता अनुसूची के अनुसार देय था।एस. के. मंत्री के प्रतिवादी के चार्टर्ड एकाउंटेंट होने की आपत्ति को खारिज कर दिया गया क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता था कि उन्होंने अनुचित तरीके से काम किया था।इसके अलावा, आपत्तियां 30 दिनों की निर्धारित अवधि से आगे दायर की गईं।

14. प्रतिवादी, एम. पी. राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादा, पचामा, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश और सहकारी संघ के महाप्रबंधक और प्रबंध निदेशक ने तदनुसार हमारे समक्ष यह अपील दायर की है।

15. अधिनियम की धारा 21 निम्नानुसार हैः

ग

"21. मुकदमा दायर करने वाले पक्ष संदर्भ के आदेश के लिए आवेदन कर सकते हैंः- कहाँ?

किसी भी वाद में सभी इच्छुक पक्ष इस बात से सहमत हैं कि वाद में उनके बीच अंतर हो सकता है, उन्हें मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, वे निर्णय घोषित होने से पहले किसी भी समय न्यायालय में लिखित रूप में निर्देश के आदेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।"

डी.

धारा 21 को लागू करने के लिए पहली शर्त यह है कि मुकदमे के पक्षों को इस बात पर सहमत होना चाहिए कि उनके बीच किसी भी मतभेद के मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।सभी इच्छुक पक्षों को मध्यस्थता के संदर्भ का आदेश प्राप्त करने के लिए सहमत होना चाहिए और उस अदालत में आवेदन करना चाहिए जहां मुकदमा लंबित है।निर्देश का विषय वाद के पक्षकारों के बीच का कोई भी मामला होना चाहिए।मुकदमे की पूरी विषय वस्तु को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता है।पक्षकार विवाद के केवल एक भाग या भाग को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए सहमत हो सकते हैं।'सहमत' अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण और अभिव्यंजक है कि कब कोई अदालत अधिनियम की धारा 21 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है। 'सहमत' शब्द का अर्थ है किसी भी व्यवस्था या समझ या सामूहिक रूप से की गई कार्रवाई।6 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 में कहा गया है कि एक समझौता मौखिक या लिखित हो सकता है, हालांकि अधिनियम की धारा 21 का आदेश यह है कि पक्षों को संदर्भ के आदेश के लिए लिखित रूप में अदालत में आवेदन करना चाहिए।धारा 21 के संदर्भ में, जब पक्षकार पारस्परिक रूप से मध्यस्थता के लिए सहमत होते हैं तो न्यायालय वाद के विवाद/मतभेद विषय को संदर्भित कर सकता है।किसी लंबित मामले में किसी विषय के संबंध में मध्यस्थता के लिए जाने के लिए पक्षों के बीच विचार-विमर्श या विचार-विमर्श होना चाहिए।

ई.

च

जी.

6 अनुबंध अधिनियम की धारा 2 देखें जो खंड (ए) के माध्यम से प्रस्ताव को परिभाषित करता है, खंड (बी) जो परिभाषित करता है कि प्रस्ताव कब स्वीकार किया जाता है, खंड (ई) जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक वादा और वादों का प्रत्येक समूह, जो एक दूसरे के लिए विचार करता है, एक समझौता है और खंड (एच) जिसमें कहा गया है कि कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौता एक अनुबंध है खंड (एच) में भी दो उप-खंड हैं।

एच.

सूट।फेल्टहाउस बनाम बिंडले 7 में कहा गया है कि पक्ष तब सहमत होते हैं जब वे जानबूझकर कुछ कार्य करने या कुछ करने से बचने के लिए सहमत होते हैं।पक्षों को एक ही समय में और एक ही अर्थ में विषय वस्तु के बारे में सहमत होना चाहिए।

16. अधिनियम की धारा 21 की व्याख्या करते हुए, पंजाब की एक पूर्ण पीठ

और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फर्म खेतू राम बशमबर दास बनाम कश्मीरी लाल 8 में निर्णय दिया हैः

"इस प्रकार, न्यायालय में लंबित किसी वाद में शामिल किसी भी मामले को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने से पहले (क) इच्छुक सभी पक्षों के बीच एक समझौता होना चाहिए कि वाद में उनके बीच विवाद का कोई भी मामला मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा; (ख) यदि वे इस तरह के समझौते पर आते हैं, तो उन्हें संबंधित न्यायालय को लिखित रूप में आवेदन करना होगा; और (ग) इसके बाद, न्यायालय को पक्षकारों के बीच सहमत मध्यस्थ को विवाद को संदर्भित करने का आदेश पारित करना होगा।

ग

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यदि मामले में रुचि रखने वाले सभी पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं है और यदि उन सभी की ओर से आवेदन नहीं किया जाता है, तो न्यायालय द्वारा दिया गया संदर्भ खराब है और इस तरह के संदर्भ पर आधारित पुरस्कार कानून में अमान्य है।यह दृष्टिकोण लगातार सभी द्वारा लिया गया है

डी.

उच्च न्यायालय।नेगी पूरन सिंह बनाम हीरा सिंह और अन्य में,

ई.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 21 और 23 के समान, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्टेनली, सी. जे. और जे. बनर्जी ने कहा कि यदि मुकदमे के निपटारे में रुचि रखने वाले सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित कोई आवेदन नहीं था, तो संदर्भ और उसके बाद दिया गया पुरस्कार अमान्य होगा।यही दृष्टिकोण हसवा बनाम महबूब और दूसरे मामले में उसी न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ द्वारा लिया गया था।गोपाल दास बनाम बैज नाथ में, जे. सुलेमान, (जैसा कि वे उस समय थे) ने इलाहाबाद और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के कई फैसलों का उल्लेख किया और निम्नानुसार टिप्पणी कीः—

च

"*** यह आवश्यक है कि सभी व्यक्ति जो उस मामले में रुचि रखते हैं जो पक्षों के बीच मतभेद में है और जिसे मध्यस्थता के लिए भेजा जा रहा है, शामिल होना चाहिए।हालाँकि यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वे सभी आवेदन पर हस्ताक्षर करें।

जी.

7 (1862) 142 ईआर 1037

एच.

8 1959 एस. सी. सी. ऑनलाइन पुंज 102 ए

663

एम. पी. राज्या तिलहन उत्थापक सहकारी संघ मरियम, पचामा, जिला शहर बनाम एम./एस. मोदी परिवहन सेवा [संजीव खन्ना, जे.] ए.

न्यायालय को दिए जाने पर, यह आवश्यक है कि वे संदर्भ के लिए सहमत हों।"

राम हरख सिंह बनाम मुमताज हसन में, तेज सिंह और एक अन्य बनाम घासे राम और अन्य का प्रश्न भी देखें।

स्वीकृति और अनुसमर्थन पर भी विचार किया गया।

गोपाल दास बनाम बैज नाथ और सुब्बा राव बनाम अप्पादुराई,

न्यायाधीश गुलाम हसन ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की नींव पक्षों की सहमति है और बाद में अनुसमर्थन उस संदर्भ को मान्य नहीं करता है जो शुरू से ही अमान्य था।कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालयों ने भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है।इस प्रश्न पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने लादुराम बनाम नंदलाल, जे. मुखर्जी, मामले में रिपोर्ट के पृष्ठ 114 पर विचार किया था, जिसमें कहा गया थाः—

ग

"यहाँ अधिकारिता की नींव सभी पक्षों के बीच समझौता है जिसमें रुचि है कि उनके बीच अंतर वाले मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।यदि सभी इच्छुक पक्ष आवेदन नहीं करते हैं और फिर भी संदर्भ का आदेश दिया जाता है, तो आदेश अवैध है क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र के बिना किया गया है।यदि कोई पुरस्कार उस संदर्भ के आधार पर दिया जाता है, तो यह समान रूप से अवैध है, क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र के बिना दिए गए संदर्भ पर आधारित है।"

डी.

सेठ डूली चंद बनाम मुनूजी और अन्य और खान मोहम्मद बनाम चेल्ला राम और दूसरा और सुभा राव बनाम अप्पादुराई भी देखें।

ई.

सुभा राव बनाम अप्पादुराई, जे. में, सिविल प्रक्रिया संहिता, जो मूल रूप से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 21 के समान है, अनुसूची II के पैरा 1 के प्रावधानों पर विचार करते हुए निम्नलिखित रूप में देखा गयाः—

च

“जो बात न्यायालय को मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अधिकार क्षेत्र देती है, वह है सभी पक्षों की सहमति। बाद में दी गई सहमति न्यायालय को अधिकार क्षेत्र नहीं दे सकती है जो उस समय उसके पास नहीं था जब उसने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा था।"17. हमारी राय में, उपरोक्त अनुपात कानून में सही स्थिति को व्यक्त करता है।मध्यस्थता पक्षकारों द्वारा चुने गए एक निजी मंच द्वारा न्यायालय निर्णय प्रक्रिया का एक विकल्प है।आम तौर पर मध्यस्थ को केवल तभी निर्देश दिया जा सकता है जब पक्षों के बीच पहले से मौजूद मध्यस्थता समझौता बना रहे।पहले से मौजूद मध्यस्थता के अभाव में

जी.

एच.

समझौते के अनुसार, अदालत के पास मध्यस्थता के लिए अनिच्छुक पक्षों को संदर्भित करने की कोई शक्ति, अधिकार या अधिकार क्षेत्र नहीं है।इसलिए, अधिनियम की धारा 21 में 'सहमत' शब्द उन पक्षों के बीच सर्वसम्मति को संदर्भित करता है जो एक अदालत के समक्ष अपने निर्णय के अधिकार को त्यागने के लिए एक सुविचारित निर्णय लेते हैं, जहां मुकदमा लंबित है, और पारस्परिक रूप से सहमत होते हैं कि मुकदमे या उसके हिस्से की विषय वस्तु पर निर्णय लिया जाए और एक मध्यस्थ द्वारा निर्णय लिया जाए।18. वर्तमान मामले में, 23 दिसंबर 1994 का आवेदन वादी द्वारा दायर किया गया था और इसमें प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।शीर्षक के अनुसार, आवेदन एक सक्षम चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा खातों के संबंध में 'जांच' करने के लिए एक आयुक्त/मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए था जो एक पंच/आयुक्त के रूप में कार्य करेगा और खातों का ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।यह कहा गया था कि पक्षों के बीच लेन-देन की संख्या काफी अधिक है और इसलिए, उपरोक्त कार्य को एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को सौंपना आवश्यक है।आवेदन में यह भी कहा गया है कि खातों के संबंध में जांच के लिए दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।पंच/आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए एस. के. मंत्री, चार्टर्ड एकाउंटेंट का नाम प्रस्तावित किया गया था।आवेदन में प्रार्थना की गई थी कि पंच/आयुक्त खातों का ऑडिट करने के बाद अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।आवेदन को मध्यस्थता के संदर्भ में पूर्व समझौते या सर्वसम्मति पर दायर आवेदन के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

ग

डी.

ई.

19. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम 23 दिसंबर 1994 के आवेदन को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 21 के तहत पक्षों द्वारा आवेदन के रूप में नहीं पढ़ सकते हैं। पहला, यह निर्णय के लिए एक मध्यस्थ को विवादों के संदर्भ के लिए एक आवेदन नहीं है, बल्कि एक विशेषज्ञ, यानी एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति के लिए एक अनुरोध है, जो खातों और कागजात की जांच करेगा और अदालत की सुविधा के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।एस. के. मंत्री को सौंपी गई भूमिका 23 जनवरी, 1995 के नियुक्ति पत्र से भी स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि एस. के. मंत्री को पंच के रूप में नियुक्त किया गया है और वे दोनों पक्षों के सभी विवादित खातों का ऑडिट करेंगे और उन्हें दोनों पक्षों को एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए।

च

जी.

अदालत।9 पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि "आपकी पारिश्रमिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, आपको अदालत में भुगतान किया जाएगा"।दूसरा,

अंततः निर्णय लेने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल नहीं उठाया गया या उसे समाप्त नहीं किया गया।में

9 एक मध्यस्थ और विशेषज्ञ और एक मध्यस्थ और एक आयुक्त के बीच अंतर की जांच की गई है और नीचे चर्चा की गई है।

एच.

665

एम. पी. राज्या तिलहन उत्थापक सहकारी संघ मरियम, पचामा, जिला शहर बनाम एम./एस. मोदी परिवहन सेवा [संजीव खन्ना, जे.] ए.

क.

वास्तव में, न्यायालय हमेशा तस्वीर में बना रहा, मुकदमे के विषय पर प्रभुत्व रखने वाले एक न्यायनिर्णायक के रूप में बातचीत का प्रयोग किया।

20. हालाँकि, वादी ने 23 दिसंबर 1994 के आदेश पर भरोसा करते हुए कहा है कि प्रतिवादी मध्यस्थता के लिए सहमत हो गया था।इसलिए, हमारे लिए आदेश की सामग्री की जांच करना आवश्यक है।आदेश के पहले भाग में लिखा है कि वादी ने खातों के निपटारे के लिए आवेदन किया है और खातों की जांच केवल एक सुशिक्षित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जा सकती है।आवेदन की एक प्रति प्रतिवादी के वकील को सौंपी गई थी, जिन्हें "इस मामले में पंच के रूप में नियुक्त होने" पर कोई आपत्ति नहीं थी। यह कथन कुछ हद तक अस्पष्ट है, लेकिन हम इस कथन को एक संकेत या पुष्टि के रूप में नहीं पढ़ते हैं कि प्रतिवादी अदालत के निर्णय के विकल्प और विकल्प के रूप में एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमत था।यदि ऐसा था, तो यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए था ताकि पक्षकार जवाब दे सकें और बयान दे सकें।अधिक से अधिक यह एक विशेषज्ञ/आयुक्त की नियुक्ति तक ही सीमित था जो खातों की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

ग

डी.

21. 23 दिसंबर 1994 के आदेश के दूसरे भाग में कहा गया है कि सुशील कुमार के आवेदन में पंच के रूप में चार्टर्ड अकाउंट का नाम प्रस्तावित किया गया है, जिस पर किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं थी।इसके बाद, आदेश अदालत के निर्देश को दर्ज करता है कि मध्यस्थ का शुल्क भारतीय मध्यस्थता परिषद की अनुसूची में निर्धारित किया जाएगा और यदि मध्यस्थ शुल्क की मांग करता है तो इसे दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए।अंतिम भाग में न्यायालय के निर्णय और निर्णय के विकल्प के रूप में मध्यस्थता के लिए सहमत प्रतिवादी द्वारा दिए गए किसी भी समझौते या रियायत को शामिल नहीं किया गया है और न ही इसका उल्लेख किया गया है।न्यायालय ने वाद की विषय वस्तु या विषय वस्तु के किसी भाग को मध्यस्थता के लिए भेजकर वाद का निपटारा नहीं किया था।हमारी राय में उक्त आदेश एक आयोग जारी करने के लिए है क्योंकि अदालत ने वादी द्वारा खातों के सत्यापन के लिए दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया था।आयुक्त को अदालत के लिए एक विशेषज्ञ या सहायक के रूप में कार्य करना था और अदालत को निर्णय लेने और अंत में मुकदमे का फैसला करने में मदद करने के लिए अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

ई.

च

जी.

22. हम इन पहलुओं को विस्तृत करेंगे और मामले के कानून और वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में अपने तर्क की पुष्टि करेंगे।

एच.

23. केरल राज्य विद्युत बोर्ड और एक अन्य बनाम कुरियन ई. कलाथिल और एक अन्य, 10 में इस न्यायालय ने इस प्रश्न की जांच की थी -

ऐसे मामले में मध्यस्थता का संदर्भ जहां पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं था।जिस प्रश्न पर विचार किया जाना था, वह यह था कि क्या उच्च न्यायालय पक्षकारों को उस पक्षकार की लिखित सहमति के बिना, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, वकील द्वारा दी गई मौखिक सहमति पर मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना सही था।इस संदर्भ में, संहिता की धारा 89 और एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया था।

लिमिटेड वी.चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कं. (पी) लिमिटेड, 11

निम्नलिखित प्रभावः“33. यहां तक कि अगर कोई पहले से मौजूद मध्यस्थता समझौता नहीं था, तो मुकदमे के पक्षकार मध्यस्थता के लिए सहमत हो सकते हैं जब अदालत द्वारा संहिता की धारा 89 के तहत उन्हें एडीआर प्रक्रियाओं का विकल्प दिया जाता है।इस तरह का समझौता एक संयुक्त ज्ञापन या संयुक्त आवेदन या अदालत के समक्ष एक संयुक्त हलफनामे के माध्यम से या पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित आदेश-पत्रक में अदालत द्वारा समझौते के रिकॉर्ड के माध्यम से हो सकता है।एक बार पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित समझौते के बाद, मामले को संहिता की धारा 89 के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है और इस तरह के संदर्भ पर, एसी अधिनियम के प्रावधान मध्यस्थता पर लागू होंगे, और जैसा कि सलेम बार (I) में देखा गया है, मामला स्थायी रूप से अदालत की धारा से बाहर जाएगा और अदालत में वापस नहीं आएगा।"

ग

डी.

ई.

24. इसके बाद, केरल राज्य विद्युत बोर्ड (ऊपर) ने एक

शैलेश धैर्यवान बनाम मोहन बालकृष्ण लुल्ला, 12 में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए समान दृष्टिकोण के संदर्भ में कहा गया है कि न्यायालय के आदेशों द्वारा लंबित मुकदमे में मध्यस्थता का सहारा तभी लिया जाएगा जब पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के निपटारे के लिए सहमत होंगे।इस प्रकार, मध्यस्थता का संदर्भ केवल तभी मान्य होता है जब पक्षों के बीच समझौते के माध्यम से किया जाता है।

च

25. इस सवाल पर कि क्या कोई वकील पक्षों की ओर से मध्यस्थता के लिए सहमति दे सकता है, केरल राज्य विद्युत बोर्ड (उपरोक्त) ने बायराम पेस्टनजी गरीवाला बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 13 में निर्णय का उल्लेख किया, जिसने कानून का निपटारा किया है कि एक वकील को निहित अधिकार पर तब तक कार्य नहीं करना चाहिए जब तक कि परिस्थितियों की आवश्यकता न हो।

जी.

10 (2018) 4 एससीसी 793 11 (2010) 8 एससीसी 24 12 (2016) 3 एससीसी 619 13 (1992) 1 एससीसी 31 ए

एच.

667

एम. पी. राज्या तिलहन उत्थापक सहकारी संघ मरियम, पचामा, जिला शहर बनाम एम./एस. मोदी परिवहन सेवा [संजीव खन्ना, जे.] ए.

समझौते या समझौते द्वारा मुकदमे के तत्काल समायोजन की मांग और पक्ष के हस्ताक्षर बिना देरी के प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं।गरीवाला मामले (ऊपर) में अनुच्छेद 37 का संदर्भ दिया गया था, जो नीचे दिया गया है:

"37. हालाँकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि वकील के लिए यह विवेकपूर्ण होगा कि वह निहित अधिकार पर कार्य न करे, सिवाय तब जब समझौते या समझौते द्वारा मुकदमे के तत्काल समायोजन की मांग करने वाली परिस्थितियों की आवश्यकता हो और पक्ष के हस्ताक्षर बिना अनुचित देरी के प्राप्त नहीं किए जा सकते।आसान और तेज़ संचार के इन दिनों में, ऐसी आकस्मिकता शायद ही कभी उत्पन्न हो।इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बुद्धिमान और सावधान वकील ऐसी सभी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए लिखित रूप में व्यक्त आवश्यक अधिकार के साथ पहले से ही खुद को तैयार कर लेगा ताकि न तो उसके अधिकार और न ही सत्यनिष्ठा पर कभी संदेह हो।यह आवश्यक सावधानी वकील की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा करने के साथ-साथ कानूनी पेशे की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखेगी।"

ग

डी.

26. केरल राज्य विद्युत बोर्ड (उपरोक्त) का निर्णय सही है।

अभिलिखित करता है कि पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के गंभीर नागरिक परिणाम हैं, जो पर्याप्त और प्रक्रियात्मक हैं।एक बार पुरस्कार पारित हो जाने के बाद, इसे केवल सीमित आधारों पर ही चुनौती दी जा सकती है।जब पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं था, तो संयुक्त आवेदन के बिना उच्च न्यायालय को मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजना चाहिए था।बिहार में यह न्यायालय

ई.

राज्य खनिज विकास निगम।**v.** एनकॉन बिल्डर्स **(I) (P)** लिमिटेड **14**

इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता समझौते में पक्षों के बीच एक व्यापक सहमति होनी चाहिए कि विवादों और मतभेदों को एक निजी न्यायाधिकरण को भेजा जाना चाहिए।इसके अलावा, ऐसा न्यायाधिकरण निष्पक्ष होना चाहिए।

च

27. आईटीसी लिमिटेड बनाम.जॉर्ज जोसेफ फर्नांडेज़ और एक अन्य, 15 यह

न्यायालय ने अनुबंध अधिनियम की धारा 20-16 की व्याख्या की थी, जिसमें यह प्रावधान है कि जहां किसी समझौते के दोनों पक्ष समझौते के लिए आवश्यक और अभिन्न तथ्य के रूप में गलती कर रहे हैं, तो समझौता अमान्य है।हालाँकि, यह तब लागू नहीं होता है जब गलती किसी त्रुटि से संबंधित हो।

जी.

14 (2003) 7 एससीसी 418 15 (1989) 2 एससीसी 1

16 20.समझौता अमान्य हो जाता है जहां दोनों पक्षों को गलती हो जाती है

तथ्य।—जहां किसी समझौते के दोनों पक्ष समझौते के लिए आवश्यक तथ्य के रूप में गलती कर रहे हैं**,** तो समझौता अमान्य है।

स्पष्टीकरण.—समझौते का विषय बनने वाली चीज़ के मूल्य के बारे में एक गलत राय को तथ्य के मामले में गलती नहीं माना जाना चाहिए।

एच.

उस वस्तु के मूल्यांकन के बारे में राय जो समझौते की विषय वस्तु है।दूसरी ओर किसी लेख या विशेषताओं की गुणवत्ता के बारे में एक गलती एक विवादास्पद प्रश्न है क्योंकि यह हमेशा इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अनुबंध अमान्य है।इसके अलावा, अनुबंध की शून्यता से संबंधित यह प्रावधान तथ्य की एक सामान्य गलती के मामलों पर लागू नहीं होता है, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एक-दूसरे के प्रति या उसके संबंध में की गई या की गई आपसी गलती से अलग है।जहाँ एक पक्ष को दूसरे के इरादे के बारे में गलत समझा जाता है, हालाँकि दोनों में से किसी को भी यह एहसास नहीं होता है कि संबंधित वादों को गलत समझा गया है, वहाँ एक आपसी गलती होती है।यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई पारस्परिक गलती थी या नहीं, यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि तीसरे पक्ष अपने शब्दों या आचरण से क्या उचित निष्कर्ष निकालेंगे।गलती या त्रुटि ऐसी होनी चाहिए कि अनुबंध के सामने या तो यह प्रतीत हो कि जिस मामले में गलती थी, वह अनुबंध की विषय वस्तु का एक आवश्यक और अभिन्न तत्व था या अनुबंध की प्रकृति से एक अपरिहार्य निष्कर्ष था जिसे सभी पक्षों ने माना था।एक अनुबंध कानून में केवल तभी अमान्य है जब कुछ अवधि प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों में निहित हो सकती है, जो अनुबंध को लागू होने से रोकती है।ये सिद्धांत तब प्रासंगिक होते हैं जब पहले से मौजूद मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बारे में विवाद उत्पन्न होता है।हालांकि धारा 21 के मामले में, आवश्यकता और भी सख्त है-"अदालत के समक्ष लिखने में रुचि रखने वाले पक्ष", जो एक अपरिवर्तनीय जनादेश है जिसके लिए आवश्यक है कि पक्षकारों को सहमत होना चाहिए, या मध्यस्थता के लिए सहमत विषय को संदर्भित करने के लिए अदालत के समक्ष एक समझौते की पुष्टि करनी चाहिए।

ग

डी.

ई.

28. के. के. मोदी बनाम के. एन. मोदी और अन्य में यह न्यायालय, 17 के बाद

वाणिज्यिक मध्यस्थता पर अपनी पुस्तक में मस्टिल और बॉयड का उल्लेख करते हुए,

उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की एक विशाल विविधता है जो उनकी संरचना, उनके कार्यों और स्रोतों के संबंध में मौलिक रूप से भिन्न हैं जिनसे उनकी शक्तियां प्राप्त होती हैं।न्यायाधिकरण, जिनमें मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अलावा पक्षकारों की सहमति से अपनी अधिकारिता प्राप्त करने वाले न्यायाधिकरण भी शामिल हैं, वे ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें उचित रूप से न्यायाधिकरण नहीं कहा जाता है, लेकिन आपसी सहमति से दोनों पक्षों के कानूनी अधिकारों को प्रभावित करने की शक्ति सौंपी जाती है, इस तरह से कि वे एक मंत्री की प्रक्रिया द्वारा ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार पैदा करते हैं, लेकिन न्यायिक प्रकृति के नहीं, जैसे कि संपत्ति का मूल्य निर्धारित करने या विनिर्देशन के साथ भवन निर्माण कार्यों के अनुपालन को प्रमाणित करने के लिए अनुबंध द्वारा नियुक्त व्यक्ति।दिए गए अन्य उदाहरण स्थानीय धार्मिक निकायों या निजी तौर पर नियुक्त सुलह न्यायाधिकरणों के हैं।

च

जी.

17 (1998) 3 एससीसी 573 ए

एच.

669

एम. पी. राज्या तिलहन उत्थापक सहकारी संघ मरियम, पचामा, जिला शहर बनाम एम./एस. मोदी परिवहन सेवा [संजीव खन्ना, जे.] ए.

व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य करें।इस तरह की सहमति की शर्तों में मध्यस्थता समझौते के लिए आवश्यक कुछ विशेषताओं का अभाव है।निर्णय में कुछ विशेषताओं को सूचीबद्ध किया गया है जो मध्यस्थता समझौते के रूप में माने जाने के लिए एक समझौते में मौजूद होनी चाहिएः

"17..... (1) मध्यस्थता समझौते में यह विचार किया जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण का निर्णय समझौते के पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

(2) कि पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय करने के लिए न्यायाधिकरण की अधिकारिता या तो पक्षकारों की सहमति से या न्यायालय के आदेश से या किसी कानून से प्राप्त होनी चाहिए, जिसकी शर्तें यह स्पष्ट करती हैं कि प्रक्रिया एक मध्यस्थता होनी है,

ग

(3) समझौते में यह विचार किया जाना चाहिए कि पक्षों के मूल अधिकारों का निर्धारण सहमत न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा,

(4) कि न्यायाधिकरण दोनों पक्षों के प्रति निष्पक्षता के समान दायित्व के कारण न्यायाधिकरण के साथ निष्पक्ष और न्यायिक तरीके से पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करेगा,

डी.

(5) कि न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए अपने विवादों को संदर्भित करने के लिए पक्षों की सहमति का उद्देश्य कानून में प्रवर्तनीय होना चाहिए और अंत में,

(6) समझौते में यह विचार किया जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण एक ऐसे विवाद पर निर्णय लेगा जो पहले से ही उस समय तैयार किया गया है जब न्यायाधिकरण को एक संदर्भ दिया जाता है।"

ई.

29. के. के. मोदी (ऊपर) मध्यस्थता पर रसेल का उल्लेख करते हैं, 18 जो

यह अवलोकन करता है कि क्या विवाद समाधान का एक चुना हुआ रूप विशेषज्ञ निर्धारण है या मध्यस्थता एक अनुबंध के निर्माण का मामला है जिसमें पक्षों के इरादे की एक वस्तुनिष्ठ जांच शामिल है।'मध्यस्थ', 'मध्यस्थता कार्यवाही' या 'एक विशेषज्ञ और मध्यस्थ नहीं' जैसे विशिष्ट शब्दों का उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि विवाद समाधानकर्ता को कैसे कार्य करना है।हालाँकि, शब्द प्रेरक होते हैं, हालाँकि हमेशा निर्णायक नहीं होते हैं।मध्यस्थता और विशेषज्ञ की राय के बीच अंतर पर लेखकों ने स्पष्ट किया है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण कानून और उसके सिद्धांतों को लागू करके पक्षों के साक्ष्य और प्रस्तुतियों के आधार पर अपने निर्णय पर पहुंचता है, जबकि एक विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता को लागू करते हुए अपनी विशेषज्ञ राय पर निर्णय लेता है।19

च

जी.

18 21 सेंट एडन., पृष्ठ 37 पर, पैरा 2-014 19 मध्यस्थता पर रसेल, 21 वां संस्करण

एच.

30. भारत भूषण बंसल बनाम यू. पी. लघु उद्योग

निगम लिमिटेड, 20 एस. के. चावला के मध्यस्थता और सुलह के कानून 21 का संदर्भ इस बात पर प्रकाश डालने के लिए दिया गया था कि एक विशेषज्ञ मुख्य रूप से अपने ज्ञान और अनुभव के पूरक के रूप में कार्य करता है यदि वह उचित समझता हैः(i) उसकी अपनी जांच; और/या (ii) किसी भी पक्ष द्वारा उसके सामने रखी गई सामग्री (जो 'साक्ष्य' के नियमों के अनुरूप नहीं है)।दूसरी ओर, एक मध्यस्थ मुख्य रूप से पक्षों द्वारा उसके सामने रखी गई सामग्री पर कार्य करता है।एक विशेषज्ञ द्वारा निर्धारण में कम से लेकर गहन जांच शामिल होगी।

हडसन के भवन और इंजीनियरिंग का भी उल्लेख किया गया है।

अनुबंध, 22 जो एक भवन अनुबंध में एक प्रमाणक और एक मध्यस्थ को अलग करता है, यह देखते हुए कि एक निर्माण अनुबंध में प्रमाणक अक्सर न्यायिक कार्य के बजाय एक प्रशासनिक कार्य करेगा।प्रमाणकों को मध्यस्थों के साथ विरोधाभास में विवादों के निवारक के रूप में वर्णित किया गया है, जिनका कार्य केवल एक बार विवाद होने पर ही उत्पन्न हो सकता है।31. एक विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के महत्व और प्रभाव के संबंध में, दयाल सिंह और अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य 23 मामले में यह न्यायालय कहता है कि एक विशेषज्ञ राय का उद्देश्य मुख्य रूप से अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में अदालत की सहायता करना है। ऐसी रिपोर्ट अदालत के लिए बाध्यकारी नहीं है।अदालत से उम्मीद की जाती है कि वह रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी, इसे रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों के साथ पढ़ेगी और फिर अपनी अंतिम राय बनाएगी कि क्या ऐसी रिपोर्ट निर्भरता के योग्य है या नहीं। विधिवत सिद्ध एक विशेषज्ञ रिपोर्ट का अपना साक्ष्य मूल्य होता है, लेकिन इस तरह की प्रशंसा निर्धारित सीमाओं के भीतर और अदालत द्वारा सावधानीपूर्वक जांच के साथ होनी चाहिए।सीधे शब्दों में कहें तो, एक विशेषज्ञ गवाही देता है और निर्णय नहीं लेता है, 24 उसका कर्तव्य अदालत को आवश्यक वैज्ञानिक/तकनीकी मानदंड प्रस्तुत करना है ताकि न्यायाधीश को साक्ष्य में साबित तथ्यों पर इन मानदंडों को लागू करके अपना स्वतंत्र निर्णय बनाने में सक्षम बनाया जा सके।25

ग

डी.

ई.

च

32. एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण और संहिता के आदेश XXVI नियम 9 और 1126 के तहत नियुक्त एक आयुक्त के दायरे और कार्यों के बीच भी अंतर है।मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए, वहाँ होना चाहिए

20 (1999) 2 एससीसी 166

21 न्यायमूर्ति एस. के. चावला पृष्ठ 164 पर मध्यस्थता और सुलह का कानून। 22 पैराग्राफ 6.065 में ग्यारहवां संस्करण, खंड 1 देखें।

जी.

23 (2012) 8 एससीसी 263

24 मुरारी लाल बनाम एमपी राज्य (1980) 1 एससीसी 704

25 डेविस बनाम एडिनबर्ग मजिस्ट्रेट, 1953 एस. सी. 34 में लॉर्ड प्रेसिडेंट कूपर के माध्यम से प्रोफेसर क्रॉस ने अपने साक्ष्य में उद्धृत किया।

26 9.स्थानीय जांच करने के लिए आयोग।– किसी भी वाद में जिसमें न्यायालय

किसी ए को स्पष्ट करने के उद्देश्य से स्थानीय जांच को आवश्यक या उचित मानता है।

एच.

एम. पी. राज्या तिलहन उत्थापक सहकारी संघ मरियम, पचामा, जिला शहर बनाम एम./एस. मोदी परिवहन सेवा [संजीव खन्ना, जे.] ए.

अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में एक मध्यस्थता समझौता या एक समझौता हो कि उन पक्षों के बीच अंतर या विवाद जिसके लिए वे अर्ध-न्यायिक तरीके से निर्धारित करने का इरादा रखते हैं।आयुक्तों की नियुक्ति अदालत द्वारा की जाती है।नियुक्ति पक्षों की सहमति से या नियुक्ति पर आपत्ति होने पर भी हो सकती है।जब कोई अदालत आयुक्त की नियुक्ति का निर्देश देती है तो पहले से मौजूद समझौता या यह आवश्यकता कि पक्ष अदालत के समक्ष सहमत हों, जैसा कि मध्यस्थता के मामले में अनिवार्य है, आवश्यक नहीं है।आयुक्त के प्रति निर्देश के मामले में, पक्षकार आयुक्त से संदर्भित विषय वस्तु का मूल्यांकन/परीक्षण की अपेक्षा करते हैं, जो वह अपने कौशल, ज्ञान और अनुभव के अनुसार करेगा, जो बिना कोई साक्ष्य लिए या तर्क सुने के हो सकता है।27 उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, हम एक 'सुविधा प्रदाता' के सिद्धांत को पेश करना चाहते हैं, जिसे एक अदालत एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकती है, चाहे वह एक आयुक्त हो या एक विशेषज्ञ, और एक ऐसे तथ्य का पता लगाने का कारण बन सकता है जो विवादित भी हो सकता है।कुछ मामलों में, आयुक्त पक्षों को सुन सकता है और आयुक्त के समक्ष पक्षों द्वारा प्रस्तुत सामग्री या साक्ष्य के आधार पर अपनी विशेषज्ञ राय दे सकता है, जैसा कि इस मामले में जब अदालत ने एक चार्टर्ड अकाउंट नियुक्त किया था, जिसे एक विशेषज्ञ के रूप में लेखा पर बयान पर अपनी राय देने की आवश्यकता थी ताकि अदालत को एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय पर पहुंचने में मदद मिल सके।यह अदालत का समय बचाने और अदालत के फैसले में देरी को कम करने के लिए था।

ग

डी.

ई.

33. संहिता का आदेश XXVI नियम 9 अदालत को स्थानीय जांच करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने के लिए व्यापक शक्तियां देता है जो विवाद में किसी भी मामले को स्पष्ट करने, किसी भी संपत्ति के बाजार मूल्य, अपने लाभ या नुकसान के खाते या वार्षिक शुद्ध लाभ का पता लगाने के लिए आवश्यक या उचित हो सकता है।आदेश XXVI नियम 11 के तहत, अदालत के पास है

च

विवादग्रस्त मामले में, या किसी संपत्ति के बाजार-मूल्य का पता लगाने के लिए, या किसी भी वास्तविक लाभ या क्षति या वार्षिक शुद्ध लाभ की राशि का पता लगाने के लिए, न्यायालय ऐसे व्यक्ति को एक कमीशन जारी कर सकता है जो उसे उचित लगे और उसे ऐसी जांच करने और उस पर अदालत को रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकता हैः

बशर्ते कि, जहां राज्य सरकार ने उन व्यक्तियों के बारे में नियम बनाए हैं जिन्हें ऐसा आयोग जारी किया जाएगा, वहां न्यायालय ऐसे नियमों से बाध्य होगा।एक्सएक्स

जी.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

11. लेखाओं की जांच या समायोजन के लिए आयोग।– किसी भी सूट में जिसमें

लेखाओं की जांच या समायोजन आवश्यक है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति को आयोग जारी कर सकता है जो उसे इस तरह की जांच या समायोजन करने का निर्देश देना उचित समझे।27 हैल्सबरी, Vol.1, एडन। 2 पी. जी. पर। 622

एच.

किसी व्यक्ति को उस मुकदमे में कमीशन जारी करने की शक्ति, जिसमें खातों के समायोजन की जांच आवश्यक है, जो उसे ऐसी जांच या समायोजन करने के लिए निर्देश देना उचित समझता है।जब कोई अदालत ऐसे व्यक्ति को इस तरह का कमीशन जारी करती है, तो वह आयुक्त को इस तरह की जांच, जांच और समायोजन करने और अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है।इस प्रकार नियुक्त आयुक्त सख्ती से एक 'न्यायिक कार्य जो बाध्यकारी है' नहीं करता है, बल्कि केवल एक 'मंत्रिस्तरीय कार्य' करता है।आयुक्त के विवेकाधिकार पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है, और अपने निर्णय का उपयोग करने या आयुक्त को शामिल मुद्दे पर निर्णय लेने और निर्णय लेने की अनुमति देने का कोई अवसर नहीं है; आयुक्त की रिपोर्ट केवल एक राय या टिप्पणी है, जैसा कि मामला विवरण और/या अदालत को वास्तविक स्थिति के बयान के साथ हो सकता है।इस तरह की रिपोर्ट स्वचालित रूप से अदालत की राय का हिस्सा नहीं बनती है, क्योंकि अदालत के पास रिपोर्ट की पुष्टि करने, उसमें बदलाव करने या उसे दरकिनार करने या किसी मामले में एक नया आयोग जारी करने की शक्ति है।इसलिए, इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए न तो त्याग किया जाता है और न ही न्यायालय के कार्यों की शक्तियों का प्रत्यर्पण किया जाता है।कभी-कभी, आयुक्त की जांच पर, रिपोर्ट रिकॉर्ड और साक्ष्य का हिस्सा बनती है।28 पक्ष एक विशेषज्ञ की राय/आयुक्त की रिपोर्ट को चुनौती दे सकते हैं, और अदालत, आपत्तियों को सुनने के बाद, यह निर्धारित कर सकती है कि उसे इस तरह के विशेषज्ञ की राय/आयुक्त की रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहिए या नहीं।भले ही न्यायालय उसी पर निर्भर करता है, यह केवल सहायता करेगा और न्यायालय को बाध्य नहीं करेगा।सख्त अर्थों में, आयुक्तों की रिपोर्ट 'गैर-न्यायिक प्रकृति' की होती हैं, और अदालतें पक्षों के अधिकारों पर निर्णय देती हैं।

ग

डी.

ई.

34. 2018 के अधिनियम 18 द्वारा, धारा 14 ए 29 को विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 में जोड़ा गया है।प्रावधान में कहा गया है कि पूर्वाग्रह के बिना

28 ए. नागराजन बनाम ए. मदनकुमार 1996 एससीसीऑनलाइन मैड 17

29 14A. विशेषज्ञों को शामिल करने की अदालत की शक्ति।—(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के तहत किसी भी मुकदमे में, जहां अदालत मुकदमे में शामिल किसी विशिष्ट मुद्दे पर उसकी सहायता के लिए विशेषज्ञ की राय लेना आवश्यक समझती है, वह एक या अधिक विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकती है और ऐसे मुद्दे पर उसे रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकती है और इस मुद्दे पर दस्तावेजों के उत्पादन सहित साक्ष्य प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकती है।

च

(2) अदालत किसी भी व्यक्ति से विशेषज्ञ को प्रासंगिक जानकारी देने या उसके निरीक्षण के लिए किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज, सामान या अन्य संपत्ति को पेश करने या उन तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता या निर्देश दे सकती है।

जी.

(3) विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय या रिपोर्ट मुकदमे के रिकॉर्ड का हिस्सा होगी; और अदालत, या अदालत की अनुमति से मुकदमे का कोई भी पक्ष, विशेषज्ञ से उसे निर्दिष्ट या उसकी राय या रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मामले पर, या उसकी राय या रिपोर्ट के बारे में, या जिस तरीके से उसने निरीक्षण किया है, उस पर व्यक्तिगत रूप से खुली अदालत में जांच कर सकता है।

(4) विशेषज्ञ ऐसे शुल्क, लागत या व्यय का हकदार होगा जो न्यायालय निर्धारित करे, जो पक्षकारों द्वारा उस अनुपात में और उस समय देय होगा जब न्यायालय निर्देश दे।] ए.

एच.

673

एम. पी. राज्या तिलहन उत्थापक सहकारी संघ मरियम, पचामा, जिला शहर बनाम एम./एस. मोदी परिवहन सेवा [संजीव खन्ना, जे.] ए.

अधिनियम के तहत किसी भी वाद में संहिता के प्रावधान जहां कोई अदालत मुकदमे में शामिल किसी विशिष्ट मुद्दे पर इसका आकलन करने के लिए विशेषज्ञ की राय लेना आवश्यक समझती है, वह एक या अधिक विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकती है और ऐसे मुद्दे पर उसे रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकती है।अदालत इस मुद्दे पर दस्तावेजों के उत्पादन सहित साक्ष्य प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकती है।विशेषज्ञ की राय या रिपोर्ट मुकदमे के रिकॉर्ड का हिस्सा होगी जैसा कि आयुक्त की रिपोर्ट के मामले में है।अदालत की अनुमति से, मुकदमे के पक्षकार विशेषज्ञ से उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी भी मामले पर या उसकी राय या रिपोर्ट के बारे में या जिस तरीके से उसने निरीक्षण किया है, उस पर खुली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पूछताछ कर सकते हैं।35. एस. के. मंत्री को भेजा गया मामला खातों की जांच तक सीमित था।मुकदमे में विवाद के मुद्दे और सवाल कहीं अधिक व्यापक और व्यापक थे।इनमें 05 जून 1992 के पत्र, जिसे 30 सितंबर 1992 के पत्र द्वारा वापस ले लिया गया था, के मद्देनजर सहमत मूल्य या परिवहन की दर के बारे में प्रश्न शामिल थे, अनुबंध के तहत वादी को देय परिवहन लागत की गणना, यदि वितरित किया गया कोयला 1 प्रतिशत की शर्त के भीतर या उससे अधिक था, तो क्या प्रतिवादी खराब गुणवत्ता वाले कोयले, उच्च नमी सामग्री आदि के कारण कटौती करने में सही थे या नहीं, जिसके कारण कोयले का वजन बढ़ गया था, वादी की ओर से वितरण में देरी, क्या प्रतिवादी वसूली करते समय ब्याज लेने के हकदार हैं, आदि। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि एस. के. मंत्री ने स्वयं यह निर्णय नहीं लिया कि वादी भूखंड के किराए या सुरक्षा शुल्क का हकदार है या नहीं, यह देखते हुए कि यह निर्णय लेने के लिए अदालत का एक पहलू था।हालाँकि, वह भूल गए कि उनका 'अधिकार क्षेत्र' खातों की जाँच और सत्यापन तक सीमित था और ऊपर उल्लिखित मुद्दों और प्रश्नों पर खातों से परे किसी भी मुद्दे या प्रश्न का निर्णय नहीं ले रहा था।

ग

डी.

ई.

च

36. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के 19 सितंबर 2019 के विवादित आदेश को रद्द कर देते हैं, जिसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीहोर कैंप आस्था द्वारा 16 मई 1996 को पारित आदेश की पुष्टि की गई थी।यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट एक पुरस्कार नहीं है और इसे संहिता के आदेश XXVI नियम 11 के तहत न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त की रिपोर्ट के रूप में माना जाना चाहिए।उक्त रिपोर्ट पर प्रतिवादी की आपत्तियों पर उपरोक्त चर्चा और हमारे निष्कर्षों के आलोक में विचार किया जाएगा, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुकदमा कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।हम स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियां वर्तमान अपील के निपटारे के लिए हैं।दीवानी मुकदमे का फैसला बिना प्रभावित हुए गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।

जी.

एच.

674

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 4 एस सी आर।

हमारे द्वारा दर्ज किए गए किसी भी निष्कर्ष से जो केवल आयुक्त की 22 जून 1995 की रिपोर्ट के सीमित पहलू से संबंधित है।

37. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.